

16.03.18

वकील अपी-या स्वयं अपी- कोई उपस्थित नहीं है। अपी-
को बार बार आवाजे दिलाई गई। अपी- की आर ए कोई
उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलान्त, अदम
हाजरी व अदम फरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
फाइल शुमार होकर बाद तकरील जास्ता काबिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर